प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता}

1. जिला- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जालोर, थाना:- सीपीएस एसीबी जयपुर वर्ष 2023
   प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या........94/2023 दिनांक............26/4/2023
2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण 1988(यथा संशोधन 2018), धारा:-7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन 2018)
   (2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः- --------------------------------
   (3) अधिनियम ------------------------------------- धारायेः---------------------------------
   (4) अन्य अधिनियम व धारायेः- ---.
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ---------475---समय-----6:15 P.M.----------------
   (ब) अपराध के घटने का दिन:- सोमवार, दिनांक 09.01.2023 समय 05.30 पी.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 09.01.2023 समय 11.30 ए.एम.
4. सूचना की किस्मः- लिखित
5. घटनास्थल:-
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- चौकी से बदिश पश्चिम, बफासला करीबन 98 किलोमीटर दूर
   (ब) पता:- पटवार भवन सिणधरी जिला बाड्मेर।
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो:- नहीं
6. परिवादी/सूचनाकर्ता:-
   (अ) नाम:- श्री सवाई राम
   (ब) पिता का नाम:- श्री भीखा राम, जाति जाट
   (स) जन्मतिथि/वर्ष:- उम्र 33 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता:- भारतीय
   (य) पाटपोर्ट संख्या:--------नहीं----------------- जारी होने की तिथी ------नहीं-------------
   (र) व्यवसाय:- कृषि
   (ल) पता:- दलोणी सारणो की ढाणी निम्बली, तहसील व थाना सिणधरी जिला बाड्मेर मोबाईल नंबर 9784568636
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित:-
   श्री प्रकाश धतरवाल पुत्र श्री अचलाराम उम्र 25 वर्ष निवासी ग्रा./, दौलाणियों का तला, तहसील बाड्मेर ग्रामीण जिला बाड्मेर, हाल वरिष्ठ पटवारी पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड्मेर मोबाईल नंबर 7742430585
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण:- कोई नहीं।
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां:---
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य:- 5,000/- रुपये रिश्वत की मांग करना।
11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो) ---
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ---

सेवामे

श्रीमान एडीशनल एसपी साहब
भ्रष्टाचार निरोधक विभाग जालोर

विषयः- रिश्वत लेते हुए को रंगेहाथों गिरफ्तार करवाने बाबत्।

महोदयजी

उक्त विषय मे अर्ज है कि मै प्रार्थी सवाई राम पुत्र श्री भीखा राम उम्र 33 साल जाति जाट निवासी दलोणी सारणो की ढाणी निम्बली, तहसील व थाना सिणधरी जिला बाड्मेर का रहने वाला हूँ। ग्राम सिणधरी मे चार रजिस्ट्री सुदा भूखण्ड क्रमशः 1-मेरा स्वयं सवाईराम पुत्र भीखाराम खसरा नं. 65/4 मे से 2700 वर्गफिट बेचानकर्ता श्री रामेश्वर पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी सिणधरी, 2-श्री रामाराम पुत्र श्री जुगताराम निवासी कमठाई तहसील सिणधरी खसरा नं. 66/52 मे से 2700 वर्गफिट बेचानकर्ता श्रीमति लीला देवी पत्नि श्री जोगराज सिंह राजपुरोहित निवासी डण्डाली तहसील सिणधरी, 3-शंकराराम पुत्र जुगताराम जाट निवासी कमठाई तहसील सिणधरी खसरा नं. 66/52 मे से 2700 वर्गफिट बेचानकर्ता श्रीमति लीला देवी पत्नि श्री जोगराज सिंह राजपुरोहित निवासी डण्डाली तहसील सिणधरी तथा 4-श्री चेनाराम पुत्र श्री वालाराम जाट निवासी धन्ने की ढाणी तहसील सिणधरी खसरा नं. 65/47 मे से 2700 वर्गफिट बेचानकर्ता स्वयं सवाईराम पुत्र भीखाराम जाट निवासी निम्बली तहसील सिणधरी जिला बाड्मेर का म्यूटेशन भरवाने हेतु हल्का पटवारी सिणधरी श्री प्रकाश जी से मिला तथा उपरोक्त चारों भूखण्डों की रजिस्ट्रीयां की झेरोक्ष कॉपी पेश की, म्यूटेशन भरने हेतु बातचीत की तो श्री प्रकाश जी पटवारी हल्का पटवारी सिणधरी जिला बाड्मेर ने प्रत्येक म्यूटेशन के 2500-2500 रुपये कुल 10,000 रुपये रिश्वत के रुप मे मांग की तथा करीब दो-ढाई माह तक म्यूटेशन नहीं भरने पर दूबारा श्री प्रकाश जी पटवारी जी से मिला तो उन्होने कहा कि 10,000 रुपये लाकर दो तब म्यूटेश भरुंगा जिस पर मैने 5,000 हजार रुपये रिश्वत के रुप मे श्री प्रकाश जी पटवारी जी के मांगने पर मजबूरी मे दे दिए अब शेष 5,000 रुपये की मांग कर रहे है। मेरे चारो रजिस्ट्रीयों का म्यूटेशन नहीं भरा गया है। मै मेरे वाजिब काम की एवज मे 5,000 रुपये पटवारी श्री प्रकाश जी को नहीं देना चाहता हूँ, उनको रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड्वाना चाहता हूं। मेरे व श्री प्रकाश जी पटवारी जी के मध्य कोई रंजीश या लेन-देन बकाया नही है। रिपोर्ट पेश करता हूँ कानूनी कार्यवाही करावें। रिपोर्ट के साथ मेरे चारो रजिस्ट्रीयों की झेरोक्ष कॉपी पेश करता हूँ।

दिनांकः- 09.01.2023

एसडी/-
सवाई राम
पुत्र श्री भीखा राम
उम्र 33 साल जाति जाट निवासी
दलोणी सारणो की ढाणी निम्बली,
तहसील व थाना सिणधरी
जिला बाड्मेर, मो.नं. 9784568636

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

दिनाँक 09.01.2023 को समय 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री सवाई राम पुत्र श्री भीखा राम उम्र 33 साल जाति जाट निवासी दलोणी सारणो की ढाणी निम्बली, तहसील व

थाना सिणधरी जिला बाड्मेर, मोबाईल नंबर 9784568636 ने एक लिखित रिपोर्ट मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड कि फोटो प्रति एवं चार भूखण्डो के रजिस्ट्रीयों की फोटो प्रतियां डां महावीरसिह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो जालोर के समक्ष कार्यालय हाजा पर उपस्थित होकर इस आश्य की प्रस्तुत की कि ग्राम सिणधरी मे चार रजिस्ट्री सुदा भूखण्ड क्रमशः 1-मेरा स्वयं सवाईराम पुत्र भीखाराम खसरा नं. 65/4 मे से 2700 वर्गफिट बेचानकर्ता श्री रामेश्वर पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी सिणधरी, 2-श्री रामाराम पुत्र श्री जुगताराम निवासी कमठाई तहसील सिणधरी खसरा नं. 66/52 मे से 2700 वर्गफिट बेचानकर्ता श्रीमति लीला देवी पत्नि श्री जोगराज सिंह राजपुरोहित निवासी डण्डाली तहसील सिणधरी, 3-शंकराराम पुत्र जुगताराम जाट निवासी कमठाई तहसील सिणधरी खसरा नं. 66/52 मे से 2700 वर्गफिट बेचानकर्ता श्रीमति लीला देवी पत्नि श्री जोगराज सिंह राजपुरोहित निवासी डण्डाली तहसील सिणधरी तथा 4-श्री चेनाराम पुत्र श्री वालाराम जाट निवासी धन्ने की ढाणी तहसील सिणधरी खसरा नं. 65/47 मे से 2700 वर्गफिट बेचानकर्ता स्वयं सवाईराम पुत्र भीखाराम जाट निवासी निम्बली तहसील सिणधरी जिला बाड्मेर का म्यूटेशन भरवाने हेतु हल्का पटवारी सिणधरी श्री प्रकाश जी से मिला तथा उपरोक्त चारों भूखण्डों की रजिस्ट्रीयां की झेरोक्ष कॉपी पेश की, म्यूटेशन भरने हेतु बातचीत की तो श्री प्रकाश जी पटवारी हल्का पटवारी सिणधरी जिला बाड्मेर ने प्रत्येक म्यूटेशन के 2500-2500 रुपये कुल 10,000 रुपये रिश्वत के रुप मे मांग की तथा करीब दो-ढाई माह तक म्यूटेशन नहीं भरने पर दूबारा श्री प्रकाश जी पटवारी जी से मिला तो उन्होने कहा की 10,000 रुपये लाकर दो तब म्यूटेश भरुंगा जिस पर मैने 5,000 हजार रुपये रिश्वत के रुप मे श्री प्रकाश जी पटवारी जी के मांगने पर मजबूरी मे दे दिए अब शेष 5,000 रुपये की मांग कर रहे है। मेरे चारो रजिस्ट्रीयों का म्यूटेशन नहीं भरा गया है। मै मेरे वाजिब काम की एवज मे 5,000 रुपये पटवारी श्री प्रकाश जी को नहीं देना चाहता हूँ, उनको रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड्वाना चाहता हूं। मेरे व श्री प्रकाश जी पटवारी जी के मध्य कोई रंजीश या लेन-देन बकाया नही है। पुलिस दरियाफ्त पर परिवादी ने यह रिपोर्ट अपने किसी परिचित से टाईप करवाकर प्रस्तुत करना, रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा रिपोर्ट मे लिखे समस्त तथ्य सही होना बताया। परिवादी श्री सवाई राम ने यह भी बताया कि श्री प्रकाश पटवारी जी हल्का सिणधरी काफी भ्रष्ट प्रवृति के है जो बिना पैसे लिये किसी भी व्यक्ति का जायज काम नही करते है। पैसे नही देने पर लोगो को नाजायज रूप से परेशान करते है तथा जगह बजगह भटकाते रहते है। मैं उनसे मेरे जायज काम के लिये बात करूंगा तो वो मेरे से भी बिना रिश्वत लिये काम नही करेगें। श्री प्रकाश जी पटवारी पटवार भवन सिणधरी मे मेरे से रिश्वत संबधी वार्ता कर लेगें। परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्य एवं उसके कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा वैध कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशी मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात समय 01.45 पी.एम पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो जालोर ने कानि. श्री गुलाबसिंह नं. 140 को कार्यालय कक्ष मे बुलाकर परिवादी श्री सवाई राम से उसका आपस में परस्पर परिचय करवाया गया। तत्पश्चात मालखाना से डिजीटल टेप रिकार्डर मंगवाकर खाली होना सुनिश्चित कर डिजीटल टेप रिकार्डर परिवादी श्री सवाई राम को चलाने की समझाईस की गई। तत्पश्चात श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140 को

डिजीटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादी श्री सवाई राम के साथ सिणधरी पहूंचकर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर वार्ता डिजीटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड कर लाने हेतु आवश्यक हिदायत दी जाकर मय परिवादी के सिणधरी की तरफ रवाना किया । समय 05.30 पी.एम. पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140 ने जरिये वाट्सअप कॉल कर बताया कि मन् कानि. मय परिवादी श्री सवाई राम के सिणधरी पहूंचा तथा पटवार भवन सिणधरी के नजदीक पहूंच परिवादी को आवश्यक हिदायत दी जाकर डिजीटल टेप रिकार्डर ऑन कर सुपुर्द कर संदिग्ध श्री प्रकाश पटवारी सिणधरी से संपर्क कर वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु पटवार भवन सिणधरी के लिए रवाना किया तथा मन् कानि. अपनी पहचान छुपाते हुए पटवार भवन के इर्द-गिर्द मुकिम रहा । कुछ समय पश्चात परिवादी श्री सवाई राम पटवार भवन सिणधरी से बाहर आकर मेरे पास पहूंचा । डिजीटल टेप रिकार्डर परिवादी से प्राप्त कर स्वीच-ऑफ कर स्वयं के कब्जे लिया । परिवादी ने बताया कि पटवार भवन सिणधरी मे श्री प्रकाश पटवारी जी उपस्थित मिले जिनसे मैने मेरे चारों भूखण्डों के म्यूटेशन भरने हेतु वार्तालाप की तो दौराने वार्तालाप श्री प्रकाश जी पटवारी ने बकाया 5,000/- रुपये रिश्वती राशि लाकर देने हेतु कहा तथा एक भूखण्ड की रजिस्ट्री की फोटो प्रति खो गई है जो कल दिनांक 10.01.2023 को प्रातः लाकर देने हेतु कहा है इत्यादि बताया । जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानि. श्री गुलाबसिंह को निर्देशित किया की कल दिनांक 10.01.2023 को प्रातः परिवादी श्री सवाई राम को एक रजिस्ट्री की फोटो प्रति श्री प्रकाश पटवारी को देने हेतु भेजते समय कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर ऑन कर सुपुर्द कर वार्ता रिकार्ड कर लावें । दिनांक 10.01.2023 को समय 04.30 पी.एम.पर रिश्वती राशी मांग सत्यापन में गये हुये श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140 हमरा परिवादी श्री सवाई राम के ब्यूरो कार्यालय जालोर में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आये । श्री गुलाबसिंह कानि. ने डिजीटल टेप रिकार्डर स्वीच ऑफ हालात मे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द करते हुऐ बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार दिनाँक 09.01.2023 को ब्यूरो कार्यालय से मय परिवादी के रवाना होकर सिणधरी पहूंच परिवादी को आवश्यक हिदायत दी जाकर डिजीटल टेप रिकार्डर ऑन कर सुपुर्द कर संदिग्ध श्री प्रकाश पटवारी सिणधरी से संपर्क कर वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु पटवार भवन सिणधरी के लिए रवाना किया तथा मन् कानि. अपनी पहचान छुपाते हुए पटवार भवन के इर्द-गिर्द मुकिम रहा । कुछ समय पश्चात परिवादी श्री सवाई राम पटवार भवन सिणधरी से बाहर आकर मेरे पास पहूंचा । डिजीटल टेप रिकार्डर मन् कानि. ने परिवादी से प्राप्त कर स्वीच-ऑफ कर स्वयं के कब्जे मे लिया । परिवादी ने मुझे बताया कि पटवार भवन सिणधरी मे श्री प्रकाश पटवारी जी उपस्थित मिले जिनसे मैने मेरे चारों भूखण्डों के म्यूटेशन भरने हेतु वार्तालाप की तो दौराने वार्तालाप श्री प्रकाश जी पटवारी ने बकाया 5,000/- रुपये रिश्वती राशि लाकर देने हेतु कहा तथा एक भूखण्ड की रजिस्ट्री की फोटो प्रति खो गई है जो कल दिनांक 10.01.2023 को प्रातः लाकर देने हेतु कहा है इत्यादि बताया, उपरोक्त हालात मन् कानि. ने श्रीमान को जरिये वाट्सअप कॉल निवेदन किये थे । श्रीमान के निर्देशानुसार आज दिनांक 10.01.2023 को प्रातः मन् कानि. मय परिवादी के पटवार भवन सिणधरी के नजदीक पहूंच कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर ऑन कर परिवादी श्री सवाई राम को सुपुर्द कर संदिग्ध श्री प्रकाश पटवारी से वार्ता कर वार्तालाप रिकार्ड कर लाने हेतु रवाना किया गया तथा मन् कानि. पटवार भवन के आस-पास अपनी पहचान छुपाते हुए मुकिम रहा । तत्पश्चात कुछ समय बाद परिवादी श्री सवाई

राम मेरे पास आया व डिजीटल टेप रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया जो मैने स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे मे लिया तथा परिवादी ने बताया कि मै पटवार भवन के अन्दर पहूंचा जहां पटवारी जी उपस्थित मिले जिन्हे मैने एक रजिस्ट्री की फोटो प्रति दी तथा मेरे कार्य से संबंधीत पुनः वार्तालाप की तो पटवारी जी ने पूर्व मे बताये अनुसार ही 5,000/- रुपये रिश्वती राशि देने हेतु कहा एवं रिश्वती राशि देने के पश्चात म्यूटेशन भरना बताया। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित परिवादी श्री सवाई राम से गोपनीय सत्यापन के हालात पुछे तो परिवादी श्री सवाई राम ने कानि. श्री गुलाबसिंह के बताये कथनो की ताईद की। पुछने पर परिवादी श्री सवाई राम ने रिश्वत मे दी जाने वाली राशी 5,000/- रुपये साथ लाना बताया। डिजीटल टेप रिकार्डर ऑन कर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सुना गया तो वार्ता रिकार्ड होना तथा परिवादी श्री सवाई राम तथा श्री गुलाबसिंह कानि. के कथनो की ताईद हुई। डिजीटल टेप रिकार्डर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं के पास सुरक्षित रखा, आईन्दा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति मे फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मुर्तिब करने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात समय 05.15 पी.एम पर मन् दीनदयाल पुलिस निरीक्षक को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय कक्ष मे तलब कर उपस्थित परिवादी श्री सवाई राम का परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं कार्यालय हाजा के डिजीटल टेप रिकार्डर मे दिनांक 09.01.2023 व 10.01.2023 को परिवादी श्री सवाई राम तथा संदिग्ध श्री प्रकाश पटवारी सिणधरी जिला बाड़मेर के मध्य रिश्वत राशि मांग करने से संबंधीत वार्ता रिकार्ड है, उक्त डिजीटल टेप रिकार्डर मय परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के मन् दीनदयाल पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अग्रीम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु आवश्यक निर्देश/आदेश प्रदान किए गए। तत्पश्चात समय 05.30 पी.एम पर मन् दीनदयाल पुलिस निरीक्षक, परिवादी श्री सवाई राम के स्वयं के कार्यालय कक्ष मे आया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा डिजीटल टेप रिकार्डर मे रिकोर्ड दिनांक 09.01.2023 व 10.01.2023 को परिवादी श्री सवाई राम व संदिग्ध श्री प्रकाश पटवारी के मध्य हुई वार्तालाप को सुना गया तो वार्ता रिकार्ड होना तथा संदिग्ध श्री प्रकाश पटवारी द्वारा परिवादी श्री सवाई राम से उसके जायज कार्य के लिए रिश्वती राशि मांग करने की पुष्टी हुई। परिवादी श्री सवाई राम को उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा डिजीटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड सुदा वार्तालाप के संबंध मे विस्तृत पुछताछ की जाकर तसल्ली की गई। ट्रेप कार्यवाही दिनांक 11.01.2023 को करने का निर्णय लिया गया। समय 05.55 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही मे स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी जिला जालोर के नाम तहरीर मुर्तिब कर श्री सुखाराम हैड कानि. नं. 96 को सुपुर्द कर गवाह तलब कर लाने हेतु रवाना किया गया था जो फिकरा उपरोक्त का रवाना सुदा श्री सुखाराम हैड.कानि. 96 मय दो स्वतंत्र गवाहान के मन् निरीक्षक पुलिस के कार्यालय कक्ष मे उपस्थित आया। गवाहान को उपस्थित आने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर रुबरु परिवादी उपस्थित गवाहान का परिचय पुछा तो दोनो ने क्रमशः- श्री नितिन सिंह राठौड़ पुत्र श्री फतेहसिंह राठौड़ उम्र 26 वर्ष जाति राजपूत निवासी सुमेल तहसील रायपुर, पुलिस थाना रास जिला पाली, हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जालोर जिला जालोर, मो.नं. 7737556564 तथा श्री गोपाल परिहार पुत्र श्री केराराम उम्र 29 वर्ष जाति मेघवाल निवासी बाकरा गांव तहसील जालोर, पुलिस थाना बागरा जिला जालोर, हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जालोर जिला जालोर, मो.नं. 8107126612 होना बताया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को

कल दिनांक 11.01.2023 को प्रातः 07.00 ए.एम. पर इस कार्यालय मे उपस्थित आने हेतु पाबंद किया जाकर रुकस्त किया गया। परिवादी श्री सवाई राम को रात्रि मुकिम कार्यालय हाजा मे रहने की हिदायत दी गई। ब्यूरो जाब्ता को भी कल दिनांक 11.01.2023 को प्रातः 07.00 ए.एम. पर कार्यालय हाजा मे उपस्थित आने बाबत् निर्देशित किया गया।

दिनांक 11.01.2023 को समय 07.00 ए.एम. पर परिवादी श्री सवाई राम कार्यालय हाजा मे उपस्थित है, स्वतंत्र गवाह श्री नितिन सिंह राठौड कनिष्ट सहायक तथा श्री गोपाल परिहार कनिष्ट सहायक पूर्व पाबंद सुदा उपस्थित कार्यालय आये तथा ब्यूरो जाब्ता भी उपस्थित आये। अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उपस्थित परिवादी श्री सवाई राम तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान का आपस मे परस्पर परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर सुनाया गया तथा पढाया गया एवं दिनांक 09.01.2023 व 10.01.2023 को परिवादी श्री सवाई राम तथा संदिग्ध श्री प्रकाश पटवारी सिणधरी के मध्य हुई वार्तालाप जो डिजीटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड है को सुनाया गया। दोनो गवाहान ने परिवादी से विस्तृत पुछताछ कर तसल्ली कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए तथा उक्त ट्रेप कार्यवाही मे स्वतंत्र गवाह बनने हेतु सहमति चाही जाने पर दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात समय 07.15 ए.एम. पर परिवादी श्री सवाई राम एवं स्वतंत्र गवाह श्री नितिन सिंह राठौड व श्री गोपाल परिहार की उपस्थिति मे दिनांक 09.01.2023 को परिवादी श्री सवाई राम व आरोपी श्री प्रकाश पटवारी के मध्य रुबरु हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड है को सुन-सुनकर समझकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो पेन ड्राईव तैयार करवाई जाकर एक पेन ड्राईव को मूल मानते हुये कपडो की थैली में डालकर सील मोहर कर थैली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरे पेन ड्राईव को डब मानते हुये खुला रखा गया। आरोपी श्री प्रकाश पटवारी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री सवाई राम द्वारा की गई। ताबाद समयः 08.00 ए.एम. पर परिवादी श्री सवाई राम एवं स्वतंत्र गवाह श्री नितिन सिंह राठौड व श्री गोपाल परिहार की उपस्थिति मे दिनांक 10.01.2023 को परिवादी श्री सवाई राम व आरोपी श्री प्रकाश पटवारी के मध्य रुबरु हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन पश्चात हुई वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड है को सुन-सुनकर समझकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो पेन ड्राईव तैयार करवाई जाकर एक पेन ड्राईव को मूल मानते हुये कपडो की थैली में डालकर सील मोहर कर थैली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरे पेन ड्राईव को डब मानते हुए खुला रखा गया। आरोपी श्री प्रकाश पटवारी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री सवाई राम द्वारा की गई।

तत्पश्चात समय 08.45 ए.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति मे मन् दीनदयाल निरीक्षक पुलिस द्वारा उपस्थित परिवादी श्री सवाई राम को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री सवाई राम ने प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रुपये के 10 नोट कुल 5,000/- रुपये अपने पास से निकालकर पेश किए। प्रस्तुत प्रत्येक नोट के नंबर फर्द पेशकशी मे अंकित करवाये जाकर कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशि श्री कालूराम कानि. नं. 477 से मंगवाई जाकर उपरोक्त रिश्वती राशि के सभी नोटो को एक अखबार पर रखवाये जाकर राशि के प्रत्येक नोट पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। सोडियम कार्बोनेट तथा फिनोफ्थलीन पाउडर की

उपयोगिता के बारे मे दृष्टान्त देकर समझाया गया। तत्पश्चात परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री नितिन सिंह राठौड से लिवाई जाकर उसके पास कोई आपत्तिजनक राशि/वस्तु/दस्तावेज नहीं रहने दिए जाकर फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 5,000 रुपये परिवादी के पहने हुए शर्ट की बांयी जेब मे रखवाये जाकर हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि को छुए नहीं तथा श्री प्रकाश पटवारी द्वारा मांगने पर ही उसे अपनी जेब से निकालकर देवे, देने के पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय ट्रेप पार्टी को देखकर गोपनीय ईशारा अपने सिर पर दो-तीन बार हाथ फेरकर कर या मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नंबर पर या ब्यूरो के किसी अन्य स्टाफ के मोबाईल नंबर पर मिसकॉल/कॉल करके गोपनीय ईशारा करें। जाब्ता की कमी होने से रिश्वत मे दी जाने वाली राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री कालूराम कानि. 477 को यह निर्देश दिए जाकर ट्रेप पार्टी मे शामिल किया गया कि ट्रेप कार्यवाही के दौरान पृथक रहे। परिवादी तथा गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी को आवश्यक हिदायत दी जाकर फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर एवं सुपुर्दगी रिश्वति राशि पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रनिंग नोट की गई, विस्तृत विवरण फर्द पेशकशी मे अंकित है।

तत्पश्चात समय 10.00 ए.एम.पर मन् दीनदयाल निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री सवाई राम तथा स्वतंत्र गवाहान श्री नितिन सिंह राठौड व श्री गोपाल परिहार एवं ब्यूरो जाब्ता सर्व श्री मोहनलाल हैड.कानि. 93, श्री सुखाराम हैड.कानि. 96, श्री विक्रमसिंह कानि. 556, श्री गुलाबसिंह कानि. 140, श्री आदूराम कानि. 142, श्री कालूराम कानि. 477 मय ट्रेप बॉक्स आवश्यक सामग्री, डिजीटल टेप रिकार्डर, लेपटॉप-प्रिन्टर के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो तथा निजी वाहन के ट्रेप कार्यवाही हेतु भ्रनिब्यूरो जालोर से सिणधरी की तरफ रवाना होकर समय 12.15 पी.एम. पर कस्बा सिणधरी के नजदीक पहूंचे, परिवादी ने ईशारा कर बताया कि पटवार घर सिणधरी के ताला लगा हुआ है जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त ब्यूरो जाब्ता व स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के कस्बा सिणधरी से बालोतरा रोड पर करीब चार-पांच किलोमीटर दूर जाने हेतु निर्णय लिया, सिणधरी कस्बे से बाहर पहूंचकर परिवादी श्री सवाई राम व श्री गुलाबसिंह कानि. को डिजीटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर वाहन से निचे उतारकर आवश्यक हिदायत दी गई की संदिग्ध पटवारी के पटवार भवन मे उपस्थित आने पर मन् निरीक्षक पुलिस को सूचित करें। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय शेष समस्त हमरायान के बालोतरा रोड पर करीब चार- पांच किलोमीटर दूर पहूंचकर श्री गुलाबसिंह कानि. द्वारा सूचित करने तक मुकिम हुए। समय 03.00 पी.एम.पर परिवादी श्री सवाई राम व श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140 कस्बा सिणधरी से रवाना होकर बालोतरा रोड पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के पास पहूंचे। परिवादी श्री सवाई राम ने बताया कि बाद इन्तजार उपरान्त भी श्री प्रकाश पटवारी, पटवार घर मे उपस्थित नहीं आया है, मालूमात करने पर किसी के खेत की पेमाईश करने जाना ज्ञात हुआ है। जिस पर श्री गुलाबसिंह कानि. व परिवादी श्री सवाई राम को आवश्यक हिदायत दी जाकर संदिग्ध पटवारी के उपस्थित आने तक इन्तजार करने हेतु पुनः कस्बा सिणधरी के लिए रवाना किया गया।

दिनांक 11.01.2023 को समय 05.30 पी.एम. पर परिवादी श्री सवाई राम व श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140 कस्बा सिणधरी से रवाना होकर बालोतरा रोड पर पुनः मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के पास पहूंचे। परिवादी श्री सवाई राम ने बताया कि बाद

इन्तजार उपरान्त अभी तक श्री प्रकाश पटवारी पटवार घर सिणधरी मे नहीं आया है, तथा बताया कि कुछ समय पहले मेरे मोबाईल पर मेरे किसी परिचित ने कॉल कर बताया कि आप पटवारी सिणधरी के विरुद्ध एसीबी मे कार्यवाही करवा रहे हो, श्री प्रकाश जी पटवारी ने मुझे आपके बारे मे यह बात बताई है। जिस पर मैंने उन्हे बताया कि मै किसी एसीबी कार्यालय मे नहीं गया हूं तथा ना ही कहीं रिपोर्ट दी है। परिवादी ने यह भी बताया कि यदि श्री प्रकाश पटवारी को मेरे द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही की भनक लग गई होगी तो वो मेरे से पैसे नहीं लेगा। बाद इन्तजार उपरान्त भी संदिग्ध श्री प्रकाश पटवारी सिणधरी अपने पटवार घर मे उपस्थित नहीं आया है, जिस पर परिवादी के बताये हालात अनुसार अग्रीम कार्यवाही आईन्दा संदिग्ध पटवारी श्री प्रकाश के पटवार घर मे उपस्थित रहने पर करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात समय 06.00 पी.एम.पर मन् दीनदयाल निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री सवाई राम तथा स्वतंत्र गवाहान श्री नितिन सिंह राठौड़ व श्री गोपाल परिहार एवं ब्यूरो जाब्ता सर्व श्री मोहनलाल हैड.कानि. 93, श्री सुखाराम हैड.कानि. 96, श्री विक्रमसिंह कानि. 556, श्री गुलाबसिंह कानि. 140, श्री आदूराम कानि. 142, श्री कालूराम कानि. 477 मय ट्रेप बॉक्स आवश्यक सामग्री, डिजीटल टेप रिकार्डर, लेपटॉप-प्रिन्टर के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो तथा निजी वाहन के सिणधरी से रवाना होकर समय 08.20 पी.एम. पर भ्रनिब्यूरो जालोर पहूंचा, रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 5,000/- रुपये जो परिवादी श्री सवाई राम के पहने हुए शर्ट की बांयी जेब मे रखे हुए है को निकलवाया जाकर एक लिफाफे मे रखवाया जाकर उक्त राशि श्री सुखाराम हैड.कानि. मालखाना प्रभारी को सुपुर्द कर सुरक्षार्थ मालखाना मे रखवाई गई तथा परिवादी श्री सवाई राम को कल दिनांक 12.01.2023 को प्रातः 07.00 ए.एम. पर कार्यालय हाजा मे अग्रीम कार्यवाही हेतु उपस्थित आने हेतु पाबंद कर रुकस्त किया गया तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाब्ता को भी दिनांक 12.01.2023 को प्रातः 07.00 ए.एम. पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने हेतु पाबंद किया जाकर रुकस्त किया गया।

दिनांक 12.01.2023 को समय 07.00 ए.एम. को मन् दीनदयाल पुलिस निरीक्षक तथा ब्यूरो जाब्ता उपस्थित कार्यालय आये, तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान श्री नितिन सिंह राठौड़ व श्री गोपाल परिहार भी कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। इसी दौरान पूर्व पाबंद सुदा परिवादी श्री सवाई राम भी कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। परिवादी श्री सवाई राम ने बताया कि श्री प्रकाश पटवारी, पटवार हल्का सिणधरी का कोई परिचित रात्रि को मेरे घर आया और बताया कि आपने श्री प्रकाश जी पटवारी के विरुद्ध एसीबी मे कार्यवाही करवाने हेतु शिकायत की है, श्री प्रकाश जी को किसी ने बताया है। श्री प्रकाश जी ने कहा है कि आपके भूखण्डों के पेण्डिंग म्यूटेशन एक-दो दिन मे भर दूंगा आदि बताया। मैंने उनको कहा कि मैंने कहीं पर भी श्री प्रकाश जी पटवारी के खिलाफ एसीबी मे शिकायत नहीं की है। परिवादी श्री सवाई राम ने यह भी बताया कि मुझे पूरा शक है कि अब श्री प्रकाश जी पटवारी को इस कार्यवाही के बारे मे भनक लग चुकी है अब वो मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त नहीं करेगें इसलिए मेरे द्वारा ब्यूरो मे पेश की गई राशि 5,000/- रुपये मुझे वापस लौटा दिए जावें। जिस पर अग्रीम कार्यवाही किया जाना संभव प्रतित नहीं होने से परिवादी श्री सवाई राम द्वारा आरोपी श्री प्रकाश पटवारी पटवार हल्का सिणधरी को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 5,000/- रुपये जो एक लिफाफे मे कार्यालय हाजा के मालखाना मे सुरक्षार्थ जमा है को मालखाना प्रभारी श्री सुखाराम हैड.कानि. से निकलवाई जाकर रुबरु स्वतंत्र गवाहान के उक्त राशि के प्रत्येक नोट पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगा हुआ है को तसल्ली से साफ किया जाकर जरिये

प्राप्ति रसीद के परिवादी श्री सवाई राम को उक्त 5,000/- रुपये लौटाए गए। परिवादी श्री सवाई राम व स्वतंत्र गवाह श्री नितिन सिंह राठौड़ व श्री गोपाल परिहार को रुकस्तगी दी गई। उपरोक्त कार्यवाही मे वजह सबूत मालखाना आईटम्स रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की एक मूल पेन ड्राईव शिल्ड सुदा एवं एक डब पेन ड्राईव खुली हालात मे एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन पश्चात वार्तालाप की एक मूल पेन ड्राईव शिल्ड सुदा एवं एक डब पेन ड्राईव खुली हालात मालखाना प्रभारी श्री सुखाराम हैड.कानि. नं. 96 को सुपुर्द कर सुरक्षित जमा मालखाना करवाया गया।

उपरोक्त संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री प्रकाश पटवारी पटवार हल्का सिणधरी, तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर परिवादी श्री सवाई राम से उसका तथा तीन अन्य रजिस्ट्री सुदा भूखण्ड क्रमशः श्री रामाराम पुत्र श्री जुगताराम निवासी कमठाई तहसील सिणधरी खसरा नं. 66/52 मे से 2700 वर्गफिट बेचानकर्ता श्रीमति लीला देवी पत्नि श्री जोगराज सिंह राजपुरोहित निवासी डण्डाली तहसील सिणधरी, शंकराराम पुत्र जुगताराम जाट निवासी कमठाई तहसील सिणधरी खसरा नं. 66/52 मे से 2700 वर्गफिट बेचानकर्ता श्रीमति लीला देवी पत्नि श्री जोगराज सिंह राजपुरोहित निवासी डण्डाली तहसील सिणधरी तथा श्री चेनाराम पुत्र श्री वालाराम जाट निवासी धन्ने की ढाणी तहसील सिणधरी खसरा नं. 65/47 मे से 2700 वर्गफिट बेचानकर्ता स्वयं सवाईराम पुत्र भीखाराम जाट निवासी निम्बली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर का म्यूटेशन भरने की एवज मे 5,000/- रुपये रिश्वत राशि पूर्व मे प्राप्त करना तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान 5,000/- रुपये रिश्वत राशि की और मांग करना संदिग्ध आरोपी श्री प्रकाश पटवारी पटवार हल्का सिणधरी, तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर का उक्त कृत्य अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन 2018) का कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। सेवा विवरण/रेकर्ड अनुसार उक्त आरोपी का नाम व पदनाम प्रकाश धतरवाल हाल वरिष्ठ पटवारी पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर होना पाया गया।

अतः श्री प्रकाश धतरवाल पुत्र श्री अचलाराम उम्र 25 वर्ष निवासी ग्रा/पो. दौलाणियों का तला, तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर हाल वरिष्ठ पटवारी पटवार मण्डल सिणधरी, तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन 2018) मे बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रीम अनुसंधान के आदेश फरमावे।

भवदीय

(दीनदयाल)

निरीक्षक पुलिस

भ्र.नि.ब्यूरो जालोर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री दीनदयाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री प्रकाश धतरवाल पुत्र श्री अचलाराम, वरिष्ठ पटवारी, पटवार मण्डल सिणधरी, तहसील सिणधरी, जिला बाडमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 94/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

26.4.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 737-40 दिनांक 26.4.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
3. जिला कलक्टर, बाडमेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर।

26.4.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।